राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 350/2016

डॉ. जगतपाल सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.03.2016
आदेश की दिनांक : 01.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 10.12.2015 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की ड्यूटी दिनांक 10.07.2014 से 08.08.2014 एवं 01.08.2015 से 26.08.2015 तक नियमित मानी जावे। चूंकि अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के बावजूद अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया गया और इस प्रकार उक्त अवधि को निरंतर मानते हुये वेतन आदि समस्त लाभ प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति व्याख्याता के पद पर वर्ष 1998 में हुई थी और उसे राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावटी, सीकर पदस्थापित किया गया। आदेश दिनांक 21.06.2014 के द्वारा अपीलार्थी को प्रधानाचार्य, राजरिस महाविद्यालय, अलवर द्वारा कार्यमुक्त किया गया, जो गलत ढंग से कार्यमुक्त किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 494/2014 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा दिनांक 09.07.2014 के द्वारा अंतरिम आदेश जारी किया गया। तदुपरांत अपीलार्थी ने

दिनांक 10.07.2014 को कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत की। परंतु अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया गया। अपीलार्थी ने आयुक्त, कॉलेज शिक्षा को भी अनुरोध किया और 28 दिन पश्चात् अपीलार्थी को कार्यग्रहण करवाया गया। आदेश दिनांक 10.10.2014 के द्वारा अपीलार्थी को अलवर से बीबी रानी अलवर, स्थानातंरित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अपील संख्या 1002/2014 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा दिनांक 20.10.2014 को अंतरिम आदेश जारी किया गया। परंतु फिर भी अधिकरण के आदेश की पालना नहीं की गई। आदेश दिनांक 21.05.2015 के द्वारा अपील निरस्त पश्चात् अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20.07.2015 के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6610/2015 प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.07.2015 को स्थगन आदेश जारी किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 01.08.2015 को कार्यग्रहण करने हेतु निवेदन किया और दिनांक 26.08.2015 को आयुक्त द्वारा अनुमति दी गई परंतु आज दिनांक तक उसको कार्यग्रहण नहीं करवाया गया और इस प्रकार तीन आदेश होने के बावजूद अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया गया, जो आदेशों की अवमानना की श्रेणी में आता है एवं विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 10.12.2015 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की ड्यूटी दिनांक 10.07.2014 से 08.08.2014 एवं 01.08.2015 से 26.08.2015 तक नियमित मानी जावे। चूंकि अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के बावजूद अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया गया और इस प्रकार उक्त अवधि को निरंतर मानते हुये वेतन आदि समस्त लाभ प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अधिकरण के समक्ष अपील जिसे अधिकरण द्वारा दिनांक 21.05.2015 के आदेश द्वारा निस्तारण कर अपील खारिज कर दी गई। अपीलार्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों तथा महाविद्यालय का वातावरण दूषित करने के आधार पर प्रशासनिक कारणों तथा राजहित में किया गया था। अपीलार्थी द्वारा विभाग में कार्यग्रहण करने की अनुमति मांगी गई, जिस पर विधिक राय उपरांत विभाग द्वारा

अपीलार्थी को बिना किसी विलम्ब के कार्यभार ग्रहण करवाया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति व्याख्याता के पद पर वर्ष 1998 में हुई थी और उसे राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावटी, सीकर पदस्थापित किया गया। आदेश दिनांक 21.06.2014 के द्वारा अपीलार्थी को प्रधानाचार्य, राजरिस महाविद्यालय, अलवर द्वारा कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति, राजकीय अधिवक्ता के तर्कों एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)